राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :— दीपांशु सांगवान, (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं.— 193/2021

राजस्थान सरकार जरिये भूमि अधिकारी तहसीलदार, सूरजगढ़ — वादी

बनाम

1. तन्मय अहलावत पुत्र सुरेन्द्र सिंह अहलावत जाति जाट निवासी वार्ड न0 02 सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राजस्थान।
2. प्रमोद कुमार पुत्र हरपालसिंह जाति जाट निवासी वार्ड न0 02 सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राजस्थान।
3. भगवती पत्नि गोकुलचन्द जाति जाट निवासी महपालवास, तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राजस्थान।

— प्रतिवादीगण

दावा बाबत बेदखली अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

:: निर्णय ::

दिनांक — 21.12.2021

वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि—

(क) वाद बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर जमीन वर्णित धारा 1 वादपत्र से बेदखल किया जाये तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे जमीन वर्णित धारा 1 वादपत्र, को खुर्द बुर्द नही करें।
(ख) अन्य सिद्दि जो मुफिद वादी हो एवं धारा 289 आ0टी0एक्ट के तहत दिलवाई जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तामिल जरिये नोटिस बोर्ड तहसील कार्यालय सूरजगढ़, पंचायत समिति कार्यालय सूरजगढ़ तथा ग्रम पचायत लोटिया पर चस्पानगी से की गयी। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 की और से श्री हवासिंह चौहान एड0 ने वकालतनामा एवं जवाब पेश किया जिसमें उक्त प्रतिवादीगण ने बताया की उक्त खसरा नम्बर 596/32 रकबा 6.12 है0 कृषि भूमि में प्रतिवादीगण द्वारा सरसों की फसल काश्त कर रखी है। जो मौके पर खड़ी है प्रतिवादीगण ने पूर्व में प्लॉटिंग उदेश्य से कुछ हिस्सा भूमि पर गद गाड़ दिये थे जो बाद में हमने मौके से हटा दिये है। उक्त कृषि भूमि वर्तमान में केवल कृषि के लिये ही काम में ली जा रही है। कोई अवैध प्लॉटिंग नहीं की गई है तथा इस भूमि के हिस्सा 1/50 भूमि पर लगभग पुख्ता निर्माण कार्य कर आबाद है शेष भूमि मौके पर खाली पड़ी है जिसमें सरसों बो रखी है

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत सम्पूर्ण भूमि के 1/50 हिस्सा भूमि तक आवासीय उपयोग उपभोग कानूनन किया जा सकता है इस प्रकार प्रतिवादीगण द्वारा किसी भी प्रकार से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उल्लघंन नहीं करना बताया।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख नकल जमाबंदी सं0 2074—77, नक्शा, फर्द मौका।

बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। अतः न्यायालय वाद वादीगण खारीज किया जाना न्यायोचित पाता है।

—:: आदेशः:—

न्यायालय वाद वादीगण खारीज किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः भूमि खेत 596/32 रकबा 6.12 है0 स्थित ग्राम लोटिया तहसील सूरजगढ में राजकीय पैरोकार की रिपोर्ट , मौका फर्द, प्रतिवादीगण के जवाब से यह स्पष्ट होता है कि प्रतिवादीगण ने अपनी भूमि में महज 1/50 हिस्से तक ही मकान निर्माण कर रखे है जो आर0टी0ए0 के तहत मान्य है, शेष भूमि को पूर्व स्थिति में बहाल कर काबिले काश्त है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि फर्द मौका रिपोर्ट में किसी भी प्रकार के पुख्ता निमार्ण का वर्णन अथवा आक्षेप नहीं है। अतः वाद वादीगण को खारीज किया जाता है। तहसीलदार सूरजगढ़ विधिसम्मत कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

(दिपांशु सॉगवान)
उपखण्ड अधिकारी
पदेन सहायक कलेक्टर
सूरजगढ़

यह निर्णय आज दिनांक 21.12.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिपांशु सॉगवान)
उपखण्ड अधिकारी
पदेन सहायक कलेक्टर
सूरजगढ़

राजस्व वाद संख्याः— 193 / 2021
राजस्थान सरकार बनाम तन्मय अहलावत आदि
निर्णय दिनांकः—21.12.2021

मूल वाद में (अन्तिम) डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :— दीपांशु सांगवान, (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं.— 193 / 2021

निर्णय दिनांक :—**21/12/2021**

राजस्था सरकार **बनाम** तन्मय अहलावत आदि

दावा बाबत बेदखली अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वादी की ओर से **सरकारी पैरोकार** व प्रतिवादी 01 लगायत 03 की और से श्री हवासिंह एड0 की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख **21-12-2021** को दीपांशु सांगवान, उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि—

—:: आदेशः:—

"न्यायालय वाद वादीगण खारीज किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः भूमि खेत 596 / 32 रकबा 6.12 है0 स्थित ग्राम लोटिया तहसील सूरजगढ में राजकीय पैरोकार की रिपोर्ट , मौका फर्द, प्रतिवादीगण के जवाब से यह स्पष्ट होता है कि प्रतिवादीगण ने अपनी भूमि में महज 1 / 50 हिस्से तक ही मकान निर्माण कर रखे है जो आर0टी0ए0 के तहत मान्य है, शेष भूमि को पूर्व स्थिति में बहाल कर काबिले काश्त है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि फर्द मौका रिपोर्ट में किसी भी प्रकार के पुख्ता निमार्ण का वर्णन अथवा आक्षेप नहीं है। अतः वाद वादीगण को खारीज किया जाता है। तहसीलदार सूरजगढ़ विधिसम्मत कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।"

खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **21-12-2021**
को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(दिपांशु सांगवान)
उपखण्ड अधिकारी
पदेन सहायक कलक्टर सूरजगढ़